Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3750/2006/भरतपुर

1. नथोल पत्र बदले

2. कलुआ पुत्र बदले

जाति चमार निवासीगण सिरसे तहसील डीग जिला भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. भोपत फौत जरिये कायम मुकाम–
   1/1.गमलो देवी पत्नी भूपत
   1/2.पतरे 1/3.छिद्दाराम 1/4. प्रहलाद
   1/5. रमेश पुत्रान भोपत
2. फगुनी पुत्र जंगली सभी जाति चमार निवासी गिरस तहसील डीड जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

अपील/डिक्री/टीए/3751/2006/भरतपुर

3. नथोल पत्र बदले

4. कलुआ पुत्र बदले

जाति चमार निवासीगण सिरसे तहसील डीग जिला भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

3. भोपत फौत जरिये कायम मुकाम–
   1/1.गमलो देवी पत्नी भूपत
   1/2.पतरे 1/3.छिद्दाराम 1/4. प्रहलाद
   1/5. रमेश पुत्रान भोपत
4. फगुनी पुत्र जंगली सभी जाति चमार निवासी गिरस तहसील डीड जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री शान्ति प्रकाश ओझा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 23.5.2018

1. यह दोनेां अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 24-5-2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार समान हैं,विवादित आराजी समान है तथा निर्णायक बिन्दु भी समान है। इसलिये दोनेां अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप जिला कलेक्टर डीग के न्यायालय में वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88,89,188 के तहत अपीलार्थी वादी द्वारा प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। दूसरा वाद प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को इकजाई कर अपने निर्णय दिनांक 18-10-03 के द्वारा अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 178/2001 को स्वीकार किया और प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या251/2001 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण ने दो अलग अलग अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24-5-2006 सें दोनों अपीलें स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-10-03 को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह दो अलग अलग अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 में साबिक आराजी खसरा नम्बर 501,620,1192,1193,1194 व 1195 कुल किता 6 कुल रकबा 14बीघा 6विस्वा के खातेदार काश्तकार जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर कौम चमार थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर स्पष्टतया खातेदार काश्तकार दर्ज थे। सम्बत 2012 व सम्बत 2028 में प्रविष्टियां यथावत रही। इसी प्रकार सम्बत20921-24 प्रदर्श डी-5 के अनुसार साबिक विवादित नम्बरों पर जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर सम भाग खातेदार की प्रविष्टियां हैं। इसी प्रकार प्रदर्श डी-6 में भी इन्ही इन्द्राजों की पुष्टि होती है। नामान्तरकरण संख्या 9 से विवादित आराजी अपीलार्थीगण वादीगण के पिता बदले के नाम आने की पुष्टि होती है। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा यह साबित कर दिया था कि जंगली पुत्र लोहरे कोई दूसरा जंगली था वह जवाली पुत्र अंगद नहीं था। जंगली पुत्र लोहरे द्वारा धारित आराजी खसरा नम्बर 1196,1197,1198 व 1199 जिसके हाल खसरा नम्बर 1409,1410,1415 व 1408 बने हैं जो कि विवादित भूमि के खसरा नम्बरान से पृथक खसरा नम्बर की भूमि है जिस पर मृतक जंगली पुत्र लोहरे कौम चमार के उत्तराधिरकार स्वरूप भोपत,फगुनी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। उक्त तथ्य को साबित करने के लिये नकल खसरा परिशोधन प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्टतया साबित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 जंगली पुत्र लोहरे के पुत्रगण होकर लौहरे के पौत्र हैं तथा लोहरे से जो सम्पति जंगली पुत्र लोहरे को प्राप्त हुई वह प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 प्राप्त कर चुके हैं। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जावे।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये सजरे का खण्डन अपीलार्थी नहीं कर पाये

हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से नामान्तरकरण संख्या 63 के सम्बन्ध में सजरे से यह प्रमाणित किया है कि इस नामान्तरकरण संख्या 63 में भूमि का खातेदार जंगली ही उनका पिता था और खसरा परिशोधन पत्र जो 1977 में जंगली पुत्र लोहरे के नाम से जो भूमि प्रत्यर्थी के नाम आई थी उसको सजरे से यह प्रमाणित कि लोहरे ला वल्द बिना औलाद फौत हुआ था और लोहरे का भाई जंगली था जिससे भूमि खसरा परिशोधन दिनांक 9-11-77 से फगुनी व भोपत के नाम आई थी। राजस्व रेकार्ड अपने आप में प्रमाण है कि जोरावर व अंगद सगे भाई नहीं थे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत होने से अपील खारिज योग्य है।

7. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2012 प्रदर्श पी-1 में साबिक खसरा नम्बर 501,620,1192,1193,1194,1195 किता 6 रकबा 14 बीघा 10 विस्वा पर जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर कौम चमार खातेदार अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर जाति चमार विवादित आराजी के समभाग के खातेदार थे। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श पी-4 से इन साबिक खसरा नम्बरों के नये विवादित खसरा नम्बर बनने की पुष्टि होती है। सम्बत 2012 की प्रविष्टियां सम्बत 2028 तक यथावत रही हैं। जैसा कि नकल जमाबन्दी प्रदर्शपी-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 के अनुसार साबिक विवादित खसरा नम्बरों पर जंगली पुत्र अंगद व जवाली पुत्र जोरावर समभाग खातेदार की प्रविष्टियां हैं। इसी प्रकार प्रदर्श डी-6 में भी इन्ही इन्द्राजों की पुष्टि होती है। प्रदर्श पी-8 से विवादित आराजी वादीगण नथोल व कलुआ के पिता बदले के नाम आने की पुष्टि होती है। जगली पुत्र लोहरे कोई दूसरा जगली था वह जगली पुत्र अंगद नहीं था। जगली पुत्र लोहरे की साबिक आराजी खसरा नम्बर 1196,1197,1198,1199 जिसके हाल सेटिलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 1409,1410,1415,1408

बनाये गये हैं जो विवादित भूमि से पृथक नम्बर हैं, उस पर मृतक जगली पुत्र लोहरे कौम चमार के उत्तराधिकार स्वरूप भोपत व फगनी (प्रतिवादीगण) पुत्रगण जगली का नाम चढाया गया है। इसकी पुष्टि नकल खसरा परिशोधन(उत्तराधिकार) प्रदर्श पी–3 से होती हैं। भू प्रबन्ध से पूर्व विवादित आराजी जवाली पुत्र अंगद 1/2 व नथोल कलुआ पुत्रगण बदले 1/2 हिस्सा अंकित है। इस तथ्य की पुष्टि नकल जमाबन्दी सम्बत 2040 प्रदर्श पी–5 से होती हैं। पटवारी द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 63 खोला गया है उसमें जवाली उर्फ जगली अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत के निर्णय में जवाली उर्फ जगली किस प्रकार अंकित किया गया, यह स्पष्ट नहीं है।

9. यहां यह उल्लखेनीय है कि जब विवादित भूमि से अलग भूमि पर जगली पुत्र लोहरे की मृत्यु पर उसके वारिसान भोपत व फगनी प्रतिवादीगण के नाम आराजी अंकित कर दी गई तो फिर जगली पुत्र अंगद की मृत्यु उपरान्त उसके खाते की विवातिदत भूमि को भोपत फगनी प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित करने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं था। क्योंकि जब जगली पुत्र लोहरे प्रतिवादीगण भोपत व फगनी का पिता था तो जगली उर्फ जवाली पुत्र अंगद प्रतिवादीगण भोपत व फगनी का पिता नहीं हो सकता। जगली पुत्र लोहरे व जवाली उर्फ जगली पुत्र अंगद दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे जिनकी जाति समान थी। जिसका लाभ प्रतिवादीगण भोपत व फगनी ने उठाया है। वादीगण नथोल व कलुआ पुत्रगण बदले ने अपने दावे के समर्थन में दस रूपये के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर अपना सजरा अंकित करते हुये शपथ पत्र दिया है तथा प्रतिवादीगण का भी सजरा अंकित किया है। प्रतिवादीगण भोपत व फगनी ने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके जबाब दावे की पुष्टि हो सके। प्रतिवादीगण की ओर से जो जबाब दावा पेश किया है उसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर ही था। परन्तु प्रतिवादीगण अपने जबाब दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। मात्र गंगा जी के पुरोहित के बयान या उनका सजरा दस्तावेजी साक्ष्य में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों से परे जाकर निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–06 निरस्त किये जाते हैं एवं उप उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–03 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य